भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2210
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

शिक्षा बोर्डों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम

†2210. **श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के ज्ञान की आज अत्यधिक आवश्यकता है और सीबीएसई ने इसे विद्यालयों में शुरू कर दिया है;
(ख) क्या सरकार अन्य बोर्डों में भी एआई पाठ्यक्रम अनिवार्य करने की योजना बना रही है;
(ग) क्या सरकार ने प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर प्रणालियों की उपलब्धता के संदर्भ में सीबीएसई विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पाठ्यक्रम चलाने की व्यवहार्यता का आकलन किया है; और
(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पाठ्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की कमी वाले विद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से युक्त समग्र और सर्वांगीण व्यक्ति तैयार करने पर बल दिया गया है। एनईपी 2020 में मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका और महत्व को पहचाना गया है। वर्ष 2019 में सीबीएसई ने अपने संबद्ध विद्यालयों में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' की शुरुआत की थी। एआई पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों की समझ और उसकी महत्ता हेतु तत्परता को विकसित करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कक्षा VIII में 15 घंटे के मॉड्यूल के रूप में और कक्षा IX से XII तक कौशल विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सत्र 2024-25 में, लगभग 4,538 स्कूलों के लगभग 7,90,999 छात्रों ने माध्यमिक स्तर (कक्षा IX और X संयुक्त) पर एआई विकल्प का चयन किया है और लगभग 944 स्कूलों के लगभग 50,343 छात्रों ने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा XI और XII संयुक्त) पर एआई विकल्प का चयन किया है।

(ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में /केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विद्यालय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं। इसलिए, राज्य बोर्ड इस संबंध में निर्णय ले सकता है।

(ग): जहां तक सीबीएसई विद्यालयों का संबंध है, सभी संबद्ध स्कूलों को संबद्धता परिपत्र संख्या 10/2023 (अनुलग्नक-I) और उसके उत्तरवर्ती शुद्धिपत्र (अनुलग्नक- II) के माध्यम से न्यूनतम आईटी अवसरंचना को बनाए रखने की सलाह दी गई थी और इस अवसरंचना के माध्यम से, एआई और संबंधित आईटी आधारित पाठ्यक्रम भी प्रभावी रूप से प्रदान किए जा सकते हैं।

(घ): सीबीएसई से संबद्ध 30,373 विद्यालयों में से 29,719 विद्यालयों में सीबीएसई संबद्धता उपनियमों के अनुसार आईटी अवसंरचना है।

*****